प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–08.09.2018 (शनिवार) को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति : संधारित।

बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम संबंधी कार्य–योजना एवं इसमें आनेवाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, विभागीय पदाधिकारियों तथा हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किए गए तथा आवश्यक निदेश दिए गए:–

1. **बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम हेतु कर्मियों का नियोजन :–**

1.1 विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के नियोजन के लिए माह सितंबर, 2018 के अंत तक विज्ञापन प्रकाशित करने तथा 15 दिसंबर, 2018 तक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

1.2 विज्ञापन की प्रक्रिया के लिए N.I.C, Patna द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर/वेबपोर्टल के संदर्भ में बिहार विकास मिशन, पटना एवं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया का निर्धारण शीघ्र करने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

2. तकनीकी मार्गदर्शिका एवं प्रशिक्षण सामाग्री:–

2.1 बैठक में उपस्थित श्री राधामोहन प्रसाद, विशेष सचिव (सेवा–निवृत), भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेटिंग कंपनी को अनुरोध किया गया कि नियमावली में किए जाने वाले आवश्यक संशोधन के प्रारूप पर विभागीय पदाधिकारियों से विमर्श कर अंतिम रूप दिया जाए।

2.2 विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम हेतु निर्माणाधीन तकनीकी मार्गदर्शिका का प्रारूप एक से दो दिनों के अंदर विभागीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए आगामी सप्ताह में इस पर उनका मंतव्य प्राप्त कर लिया जाए।

2.3 श्री राधा मोहन प्रसाद द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रिंटिग कार्य पर व्यय हेतु तत्काल 30,000/– (तीस हजार) रूपये अग्रिम देने का अनुरोध किया गया। निदेश दिया गया कि इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

2.4 सर्वेक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामाग्री को भी 15 अक्टूबर, 2018 तक तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– श्री राधा मोहन प्रसाद, विशेष सचिव (सेवा–निवृत), भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेटिंग कंपनी)

3. मुख्यालय एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण की रूप–रेखा:–

3.1 विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु सभी जिलों में प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की सूची तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य माह नवंबर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाए। राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देने हेतु पदाधिकारियों का पैनल तैयार करने का निदेश दिया गया।

3.2 जिला स्तरीय प्रशिक्षण पैनल की रूप–रेखा भी हर जिले के लिए 8 से 10 मास्टर ट्रेनर के आधार पर तैयार कर लिया जाए। जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने का स्थान, आवश्यक अन्य आधारभूत आवश्यकताएँ और उन पर होने वाले व्यय का ऑकलन भी 1 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाए।

3.3 राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के व्यवहरार्थ नवनिर्मित छात्रावास को भवन निर्माण विभाग को भवन शीघ्र हस्तांतरित करने हेतु निदेश दिया जाए तथा उक्त छात्रावास को कार्यकारी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरण/उपस्करों का क्रय GEM/BFR के माध्यम से शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

4. **हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा मानचित्र आपूर्ति के संबंध में:–**

4.1 बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को सभी जिलों में सर्वेक्षण मानचित्र आपूर्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

4.2 जिला स्तर पर जहाँ सर्वेक्षण कार्यालय नहीं है, वहां समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर मानचित्र प्राप्त करने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण मानचित्र प्राप्त करने के लिए अपर समाहर्त्ताओं को प्राधिकृत किया जाए तथा इस हेतु तत्काल पत्र निर्गत किया जाए।

4.3 शाहाबाद क्षेत्र के चार जिले यथा– भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास जिनका डिजिटाईज्ड मानचित्र का डाटा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को प्राप्त नहीं हुआ है, के लिए अविलंब कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जी0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0)

5. सर्वेक्षण के प्रारंभिक चरण में सर्वेक्षण मानचित्रों में सर्वेक्षण हेतु उपयोगी निम्न आवश्यक तथ्यों को अंकित किए जाने का निदेश हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को दिया गया:–

i. हल्के रंग की रेखा से कैडेस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी की ग्राम सीमा (केवल संदर्भ हेतु)
ii. गहरे रंग से जमीनी वास्तविकता के संदर्भ में प्राकृतिक विभाजन के अनुरूप वर्त्तमान राजस्व ग्राम–सीमा
iii. वैसे पुराने अलामत जो अभी भी उपलब्ध हैं तथा जिनका उपयोग डिजिटल बॉउन्ड्री को ऑर्थो पर बैठाने के लिए किया गया है।
iv. विगत् सर्वे के सभी सड़क, जल निकाय, जंगल इत्यादि और मानचित्र पर पहचान में आनेवाली सरकारी भूमि यथा– बाँध, श्मशान, मंदिर इत्यादि।
v. वर्त्तमान के अलामत जो Land mark हो सकते हैं।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जी0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0)

6. विभिन्न स्त्रोतों से सर्वेक्षण हेतु उपयोगी सरकारी भूमि से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में निदेश दिया गया कि वर्त्तमान सर्वेक्षण में सरकारी भूमि से संबंधित तथ्यों को समाहित करने के लिए विभिन्न स्त्रोतों से सरकारी भूमि से संबंधित ऑकड़ों जैसे–राजस्व विभाग द्वारा ऑपरेशन दखल दहानी एवं अभियान बसेरा हेतु तैयार आंकड़े, निबंधन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सरकारी भूमि की विवरणी इत्यादि को उनसे प्राप्त करने तथा सर्वेक्षण के प्रारंभिक चरण में ही एजेंसी और बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए। एन0आई0सी0 के स्कोर द्वारा रजिस्ट्रेशन विभाग के लिए तैयार "रोक पंजी" हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को भी उपलब्ध करा दिया जाए।

(अनुपालन– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

7. विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों की संख्या एवं प्रयुक्त स्केलः–

7.1 एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण मानचित्र की मुद्रित प्रति के साथ–साथ सॉफ्ट कॉपी भी अमीनों को उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही MoU एवं अधिनियम के अनुसार प्रक्रमवार मानचित्र की आपूर्ति की जाए।

7.2 सर्वेक्षण प्रक्रिया में आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्र 1:1000 के स्केल पर ई0टी0एस0 की सहायता से तैयार कराया जाए। सर्वेक्षण के प्रत्येक चरण में एक–एक तथा प्रकाशन के स्तर पर (प्रारूप एवं अंतिम) चार–चार प्रतियों में मानचित्र समर्पित किया जाएगा।

7.3 विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया से भिन्न यदि मानचित्रों के आपूर्ति हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा की जाती है तो उसका भुगतान लागत के आधार पर संबंधित एजेंसी को किया जाएगा।

(अनुपालन– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

8. जिला स्तर पर सर्वेक्षण हेतु उपयोगी दस्तावेजों का संरक्षणः–

8.1 बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा विमर्शोपरांत सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस कार्यक्रम में विगत् सर्वेक्षण खतियान, बंदोबस्ती पंजी, अंचल स्तर पर उपलब्ध सरकारी भूमि पंजी, खास महाल पंजी, सैरात पंजी इत्यादि का स्कैनिंग कराकर उन्हें बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सकता है। सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन किए जाने संबंधी आवश्यक निदेश सभी समाहर्त्ता को निदेशालय स्तर से देने का निदेश दिया गया।

9. सर्वेक्षण प्रक्रिया में लगान निर्धारण हेतु भूमि का वर्गीकरण :–

9.1 वर्त्तमान सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लगान निर्धारण हेतु आवश्यक भूमि के वर्गीकरण में भूमि को धनहर, भीठ को आधार बनाते हुए शेष वर्गीकरण पुराने सर्वेक्षण के आधार पर करने हेतु समीक्षा की जाए तथा रिविजनल सर्वे में तय किए गए लगान में 100 प्रतिशत वृद्धि के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लगान निर्धारण संबंधी प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर समर्पित किया जाए।

10. **सर्वेक्षण शिविर का गठन** :– विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य हेतु गठित किए जाने वाले शिविर के लिए स्थान, आवश्यक उपस्कर एवं उन पर आने वाले व्यय इत्यादि का ऑकलन कर लिया जाए एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र कर ली जाए।

बैठक के अंत में निदेश दिया गया कि आगामी शनिवार तक तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रारूप, नियमावली में किए जाने वाले संशोधन, एजेंसी द्वारा दिए Co-ordinate की जाँच का कार्य पूर्ण कर लिया जाए।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

<u>बिहार सरकार</u>
<u>भू–अभिलेख एवं परिमाप विभाग,</u>
<u>बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक :–विशेष सर्वेक्षण–एजेंसी–319 / 2016.....1499.....पटना, दिनांकः– 14-09-2018

प्रतिलिपि :– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुकुल कुमार)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–विशेष सर्वेक्षण–एजेंसी–319 / 2016.....1499.....पटना, दिनांकः– 14-09-2018

प्रतिलिपि :– IL & FS, New Delhi/ Gis Consortium, New Delhi/IIC Technology को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Fax/Mail

(मुकुल कुमार)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–विशेष सर्वेक्षण–एजेंसी–319 / 2016.....1499.....पटना, दिनांकः– 14-09-2018

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप / तकनीकी कोषांग के सभी स०ब०प० / जी०आई०एस० सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–विशेष सर्वेक्षण–एजेंसी–319 / 2016.....1499.....पटना, दिनांकः– 14-09-2018

प्रतिलिपि :– श्री राधा मोहन प्रसाद (सेवा–निवृत) विशेष सचिव, भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेटिंग कंपनी को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–विशेष सर्वेक्षण–एजेंसी–319 / 2016.....1499.....पटना, दिनांकः– 14-09-2018

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूंचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप